FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत [illegible] मुकाम [illegible]

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा 111/128 RTA Act नं. 104/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.2.21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री [illegible] ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111/128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04.05.21 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर [illegible]	
4/5/21	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील अदम तामील उपरान्त श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय का पद रिक्त होने से पत्रावली उल्तवा होकर दि० 26/6/21 को पेश हो।	
26/6/21	प्रार्थी वकील उप० विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त [illegible] पत्रावली [illegible] महोदय का पद रिक्त होने से [illegible] उल्तवा होकर दि० 26/10/21 को पेश [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya

Date: 2022.10.13 17:47:20 IST

Reason: SelfAttested

26/10/21 प्रार्थी वकील उप० / विप्रार्थीगण अनुपस्थित।
श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय प्रशासन गांवों
के संग अभियान 2021 कैम्प में व्यस्त होने से [illegible]
ता० 4/1/2022 को पेश हो।

4/1/2022 प्रार्थी वकील उप० / विप्रार्थीगण अनुपस्थित।
समय नौ बजे आवाज लगाई अंतिम आवाज [illegible]
लगाई विप्रार्थीगण या उनकी ओर से कोई अभिभाषक
उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा
कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता
ने बताया कि
की तहत भूमि [illegible] प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि
ख.नं. 61, 66 आई हुई है।
प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. [illegible] हुई है जो
खेतों के मध्य पुरानी मेड़ें एवं [illegible]
वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए हैं जिससे
प्रार्थी को अपने खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं है।
पैदा है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के बीच तनाजा
हो रहा है। प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का
सही ज्ञान करने के लिए पत्थरगढ़ी करवाना आवश्यक है।
इसलिए प्रार्थी का पत्थरगढ़ी आवेदन स्वीकार कर
पत्थरगढ़ी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी
का पत्थरगढ़ी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार
[illegible] को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया
जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ किसी
भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी भूमि की पत्थर
गढ़ी मौके पर [illegible] कर,
पालना रिपोर्ट प्राप्त [illegible]
पत्रावली फैसल शुमार [illegible] दाखिल
दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:47:20 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1592 दिनांक 04/01/2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. तगाराम पुत्र बालाराम जाति जाट, निवासी आहोणी बेनिवालो की ढाणी पटवार मण्डल माधासर तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. मोटाराम पुत्र मानाराम वगैरा 14 जाति जाट, निवासी आहोणी बेनिवालों की ढाणी पटवार मण्डल माधासर तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 104/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – आहोणी बेनिवालों की ढाणी, पटवार मण्डल –माधासर, तहसील – बायतु, जिला– बाडमेर के खेत खसरा नं. 745/303, 747/303 रकबा क्रमशः 2.5322, 5.8248 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशन नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांकः– 04/01/2022

क्रमांक / वाद /2021/ 1593-97
प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का माधासर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री तगाराम पुत्र बालाराम
4. विप्रार्थी श्री मोटाराम पुत्र मानाराम वगैरा
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:47:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु